

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
उधमसिंह नगर

अष्टम बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त

- तिथि : 22.09.2020 (दिन मंगलवार)
समय : 10:30 बजे पूर्वान्ह से अपरान्ह 1:30 बजे
स्थान : एन0आई0सी0, उधमसिंह नगर(वीडियो
कान्फ्रेन्स)
फोन : 05942- 250152
फैक्स : 05942- 250152
e-mail I.D- udausnagar@gmail.com

आज दिनांक 22 सितम्बर, 2020 दिन मंगलवार को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर की अष्टम् बोर्ड बैठक वीडियो कान्फ्रेन्स के माध्यम से एन0आई0, जिला कार्यालय, उधमसिंह नगर में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:-

1. श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी, आयुक्त कुमाऊँ मण्डल नैनीताल —अध्यक्ष
2. श्री बंशीधर तिवारी, उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उ0सिं0नगर —उपाध्यक्ष
3. श्री बंशीधर तिवारी, उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
(सचिव आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के प्रतिनिधि) —सदस्य(पदेन)
4. श्री शशि मोहन श्रीवास्तव, सहयुक्त नियोजक, नियोजन खण्ड हल्द्वानी
(मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड देहरादून के प्रतिनिधि)।
(वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से) —सदस्य(पदेन)
5. श्रीमती शिवानी पाण्डेय, मुख्य कोषाधिकारी, उधमसिंह नगर।
(सचिव वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के प्रतिनिधि) —सदस्य(पदेन)
6. श्रीमती रिकू नेगी, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, रूद्रपुर —सदस्य(पदेन)
7. श्री प्रमोद शर्मा, पार्षद वार्ड नं0-16, नगर निगम रूद्रपुर
—सदस्य(निर्वाचित)
8. श्री भुवन गुप्ता पार्षद वार्ड नं0-12, नगर निगम रूद्रपुर के प्रतिनिधि
—सदस्य(निर्वाचित)

बैठक के संचालन एवं सहयोग हेतु उपस्थिति:-

1. श्री पंकज कुमार उपाध्याय, सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
उधमसिंह नगर।
2. श्री विजय कुमार माथुर, प्र0अधिसासी अभियंता, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
उधमसिंह नगर।
3. श्री हेमन्त सिंह रावत, अवर अभियंता, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
उधमसिंह नगर।
4. श्री सतपाल सिंह, मुख्य सहायक जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
उधमसिंह नगर।

सर्वप्रथम अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष एवं सम्मानित सदस्यों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्राधिकरण की पचम बोर्ड बैठक प्रारम्भ किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् प्रस्तावित बैठक के एजेन्डा बिन्दुओं का क्रमशः प्रस्तुतीकरण प्रारम्भ किया गया। एजेन्डा बिन्दुओं पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

Signature

मद संख्या- 8.01

सप्तम् बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि।

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की सप्तम् बोर्ड बैठक दिनांक 18 अगस्त, 2020 की कार्यवाही कार्यालय के पत्र संख्या-897/जि0वि0प्रा/2020-21 दिनांक 26.08.2020 द्वारा बोर्ड के सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेषित की गयी। प्रेषित कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुयी है। अतः सप्तम् बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि सम्बन्धी प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

मद संख्या- 8.02

सप्तम् बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों पर अनुपालन आख्या।

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की सप्तम् बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों पर अनुपालन आख्या अनुलग्नक-1 पर संलग्न है।

मद संख्या- 8.03

जनहित याचिका संख्या-119/2013, अनुज कंसल बनाम् उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.06.2018 के बिन्दु संख्या-14 (v) पर मार्ग-दर्शन के सम्बन्ध में।

जनहित याचिका संख्या-119/2013, अनुज कंसल बनाम् उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा दिनांक 19.06.2018 के बिन्दु संख्या-14 (v) में निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैं:-

"The State Government shall not permit the use of agriculture land recorded in revenue records as agriculture land to be converted for group housing complex taking into consideration the acute shortage of farming land in the State of Uttarakhand. It is made clear that this will not apply to a farmer who wants to build a house for himself, as per the U.P.Z.A and L.R. Act, till suitable legislation is made. In other words, there shall be ban on conversion of agriculture land/orchard land for construction of group housing projects/complexes, including by the societies, till the enactment of law."

उक्त आदेश के विरुद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में एस0एल0पी0 संख्या-20575/2018 दायर की गयी, मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 17.08.2018 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं:- ".....In the meanwhile, there shall be a stay of operation of the Direction Nos. 14 (iv) and (vi) issued by the High Court of Uttarakhand at Nainital in the impugned order dated 19-06-2018." उक्त याचिका मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

अवगत कराना है कि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम-2011 (संशोधन-2015) के Chapter-2 (परिभाषायें) के बिन्दु 2.57 (i) में ग्रुप हाउसिंग को परिभाषित किया गया है परन्तु प्रोजेक्ट/काम्पलैक्स वर्णित नहीं है, निम्न प्रकार परिभाषित है:-

2.57 Use Group (उपयोग समूह) का तात्पर्य अधिभोग के अनुसार भवन के वर्गीकरण के प्रयोजन के लिये मुख्य उपयोग से है, जिसके लिये भवन या भवन का कोई भाग प्रयुक्त किया जाता है या प्रयुक्त किये जाने के लिये अभिप्रेत हो। अधिभोग में अनुषांगिक अधिभोग भी सम्मिलित है। अधिभोगों का वर्गीकरण निम्नानुसार है:-

Signature

(1) Residential (आवासीय) के अन्तर्गत वे भवन सम्मिलित होंगे जिनमें सामान्यतः आवासीय प्रयोजन के प्राविधान सहित शयन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शौचालय की सुविधा हो। सर्विस अपार्टमेंट उक्त प्रयोजन से पृथक व्यवसायिक श्रेणी में माने जायेंगे।

(अ) एकल आवासीय का तात्पर्य एकल आवासीय भवन से है जिसमें रसोई घर की संख्या अधिकतम दो तक हो।

(ब) मल्टीपल इकाईयों से तात्पर्य एकल आवासीय भू-खण्ड में 2 से अधिक आवासीय इकाई हो, से है।

(स) Group Housing (ग्रुप हाउसिंग) का तात्पर्य मैदानी क्षेत्र में 2000 वर्गमीटर एवं पर्वतीय क्षेत्र में 1000 वर्गमीटर से अधिक भूखण्ड में समूह या बहुमंजिले भवन, जिसमें एक से अधिक स्वतंत्र आवासीय इकाईयां हों तथा सेवाओं, खुले स्थल व आवागमन के रास्ते की भागीदारी एवं सह-स्वामित्व हो, सम्मिलित होंगे। उक्त में भूमि का उपविभाजन करते हुये उपविभाजित भूखण्डों में आवासीय निर्माण भी सम्मिलित है।

उक्त परिभाषा में ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट/काम्प्लैक्सेज वर्णित नहीं है। उपरोक्त ग्रुप हाउसिंग को ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट/काम्प्लैक्सेज के अन्तर्गत परिभाषित किया जा सकता है। मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा जनहित याचिका संख्या-119/2013 अनुज कंसल बनाम् उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.06.2020 के बिन्दु संख्या-14 (v) में ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट/काम्प्लैक्स के अतिरिक्त अन्य प्रकार के भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में श्री संदीप कोठारी, अधिवक्ता, जिला विकास प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा प्रस्तुत की गयी विधिक राय जो निम्नानुसार है:-

".....That the aforesaid provisions as quoted herein above, suggests that the units mentioned in Clause (स) can be treated to the group housing project. It has been mentioned that the word, complex has not been used in the bye-laws, but the word 'complex' is loosely used for project and the Group Housing Complex can be said to be Group Housing Project.

That sine as per the prevalent bye-laws, the relevant extract of which was forwarded to the undersigned shows that Group Housing Project is defined in the bye-laws and group housing complex can be said to be synonymous to the Group Housing Project and only on the aforesaid basis it can be said that the other buildings can not be treated as Group Housing Project/Complex and can be considered for sanction. The provisions of the judgement and order dated 19-06-2018 contained in direction-14 (V) will not be applicable in such circumstances in the humble opinion of the undersigned."

श्री अखिलेश कुमार साह, अधिवक्ता, जिला विकास प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा प्रस्तुत विधिक राय निम्नानुसार है:-

"B- Uttarakhand (the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Moridification Order, 2001) (Ammendment) Act, 2007* (Uttaranchal Act No. 3 of 2007 (13th July, 2007).

An Act further to amend the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Moridification Order, 2001) in its application to the State of Uttarakhand to control the uncontrolled sale and purchase of agricultural land in the State of Uttarakhand. Be it enacted in the Fifty-eight year of the Republic of India as follows:-

- 1- Short Title, Extent and Commencement-
- (1) This Act may be called the Uttarakhand (the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950) (Adaptation and Moridification Order, 2001) (Ammendment) Act, 2007.
- (2) It shall extend to the whole of the State of Uttarakhand except the areas included and to be included from time to time in any Municipal Corporation, Nagar Panchayat, Nagar Parishad and Cantonment Board limits.

(3) It shall come into force at once."

So, from the above, I am of the view that it seems in the judgement, that the Hon'ble Court has taken into consideration only group housing projects/complexes which in my view does not include the commercial complexes and is concerned only with the dwelling houses. However, this is not my concluding view as the matter is pending before the Hon'ble Supreme Court."

यह भी अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण को मार्ग-दर्शन हेतु जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर की अष्ठम बोर्ड बैठक के मद संख्या-08.04 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के आदेश दिनांक 19.06.2018 से पूर्व जो भूमि राजस्व अभिलेखों में अकृषक के रूप में दर्ज हो, ऐसे प्रकरणों पर नियमानुसार मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही की जाय। उक्त तिथि के उपरान्त राजस्व अभिलेखों में दर्ज अकृषक भूमि पर प्राप्त होने वाले प्रकरणों पर मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के आदेश दिनांक 19.06.2018 का अनुपालन करते हुये कार्यवाही की जाय।

बोर्ड में लिये गये निर्णय के अनुपालन में मानचित्रों के निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है परन्तु कई अन्य प्रकरण जो कि ग्रुप हाउसिंग योजनाओं से इतर व्यवसायिक निर्माण की श्रेणी के हैं, पर उपरोक्त आदेश के क्रम में निस्तारण की कार्यवाही नहीं हो पा रही है।

अतः जनहित याचिका संख्या-119/2013, अनुज कंसल बनाम् उत्तराखण्ड राज्य एव अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा दिनांक 19.06.2018 को पारित आदेश व अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत विधिक राय के क्रम में ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं से इतर व्यवसायिक श्रेणी के निर्माणों के निस्तारण के लिये दिशा-निर्देश पारित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

कार्यवाही:- बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत विधिक राय के क्रम में ग्रुप हाउसिंग कॉम्प्लैक्स के मानचित्रों का निस्तारण प्राधिकरण की अष्ठम बोर्ड बैठक के मद संख्या-06.03 में लिये गये निर्णय के अनुसार एवं गैर आवासीय/व्यवसायिक श्रेणी के मानचित्रों का निस्तारण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम-2011 (संशोधन-2015) तथा महायोजना के मानकों के अनुरूप किया जाये।

मद संख्या- 8.04

महायोजना क्षेत्र से बाहर कृषि/ग्रामीण क्षेत्रों तथा ऐसे खुले/अविकसित/बंजर क्षेत्रों में भवन मानचित्रों की स्वीकृति हेतु भू-उच्चीकरण शुल्क के निर्धारण के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग-2, देहरादून के शासनादेश संख्या-1798/v-2-2016-55 (आ0)/2006 (टी0सी0) दिनांक 08.12.2016 जो भवन निर्माण विकास उपविधि/विनियम-2011 (संशोधन-2015) में संशोधन के सम्बन्ध में हैं, के बिन्दु संख्या-3.3 (vi) में प्रस्तावित संशोधन में उल्लेख है कि तकनीकी अनापत्ति उपरान्त आवेदक द्वारा भू-उच्चीकरण शुल्क एवं बाह्य विकास शुल्क निम्न रिथितियों में जमा की जायेगी जिसके उपरान्त मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा:-

- 1- ऐसे क्षेत्र जिनमें महायोजना लागू नहीं है, में भू-उच्चीकरण शुल्क निम्नानुसार देय होगा:-
- (1) चूंकि नगर निकाय सीमा के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र बाहुल्य रूप से निर्मित क्षेत्र स्वरूपीय होता है, अतः भू-उच्चीकरण शुल्क नगर निकाय सीमा के अन्तर्गत देय नहीं होगा।

- (2) नगर निकाय सीमा के बाहर के क्षेत्रों में 2000 वर्गमीटर एवं इससे अधिक क्षेत्रफल के भू-खण्डों को कृषि/अविकसित/बंजर मानते हुए सम्बन्धित भू-खण्ड में प्रस्तावित गैर सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक गतिविधि तथा उच्च तकनीकी संस्थाओं हेतु भू-उच्चीकरण शुल्क देय होगा।
- (3) भू-उच्चीकरण शुल्क कृषि से प्रस्तावित गतिविधि हेतु निर्धारित भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का आधा होगा।

जिन क्षेत्रों की महायोजना स्वीकृत है, में सम्बन्धित भू-उपयोग में अनुमन्य निर्माण गतिविधियों का तकनीकी परीक्षण उपरान्त तथा स्वीकृति से पूर्व सीवर एवं ड्रेनेज सिस्टम हेतु बाह्य विकास शुल्क (EDC) लिया जायेगा।

भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1895/v/आ-2016-11 (एल0यू0सी0)/03-2016, दिनांक 28.12.2016 के अनुसार महायोजना में निम्न भू-उपयोग से उच्च भू-उपयोग परिवर्तन के लिये शुल्कों का निर्धारण किया गया है जो निम्नानुसार है:-

भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की दरें भू-खण्ड पर सर्किल रेट का प्रतिशत

प्रस्तावित भू-उपयोग महायोजना में भू-उपयोग	कृषि एवं हरित क्षेत्र	परिवहन एवं संचार	मनोरंजन एवं पर्यटन	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	आवसीय	औद्योगिक	व्यवसायिक/व्यवसायिक कार्यालय
01-कृषि एवं हरित क्षेत्र	-	10	30	25	50	50	150
02-परिवहन एवं संचार(मार्ग प्रस्ताव को छोड़कर)*	-	-	20	40	60	50	100
03-मनोरंजन एवं पर्यटन	-	-	-	30**	50	70	100
04-सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक (विश्वविद्यालय को छोड़कर)*	-	-	-	-	20	50	100
05-आवासीय	-	-	10	10	-	200	100
06-औद्योगिक***	-	-	10	15	100	-	100
07-व्यवसायिक	-	-	-	-	-	-	-

नोट-

- (क) * मार्ग एवं विश्वविद्यालय प्रस्तावों से अन्य उपयोगों में से भू-उपयोग परिवर्तन प्रतिबन्धित होगा।
- (ख) ** केवल राजकीय, अर्द्धराजकीय एवं शासन द्वारा वित्त पोषित निर्माण/परियोजनाओं में विचारणीय।
- (ग) *** राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहीत कर प्रदान की गयी औद्योगिक आस्थान/क्षेत्रों के भूखण्डों का भू-उपयोग परिवर्तन पर सामान्यतः विचार नहीं किया जायेगा तथा यदि आवश्यक हो तो ऐसे प्रकरणों में उत्तराखण्ड शासन के उद्योग विभाग से अनापत्ति आवश्यक होगी।
- (घ) - भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क देय नहीं होगा।

शासनादेश संख्या-1196/v-2/11 (एल0यू0सी0) 2003/2019 दिनांक 06 सितम्बर, 2019 द्वारा महायोजना में निम्न भू-उपयोग से उच्च भू-उपयोग परिवर्तन के लिये शुल्क निर्धारण किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-1895/v/आ-2016-11 (एल0यू0सी0) /03-2016, दिनांक 28.12.2016 के प्रस्तर-2(3) एवं प्रस्तर-2(7) में संशोधन विषयक है, के द्वारा मनोरंजन एवं पर्यटन भू-उपयोग की दरें निम्नानुसार संशोधित की गयी हैं:-

क्र० स०	प्रस्तावित भू-उपयोग महायोजना में भू-उपयोग	मनोरंजन एवं पर्यटन (शासनादेश संख्या-1895 दिनांक 28.12.2016 लागू करें)	मनोरंजन एवं पर्यटन (सशोधित दरें)
1	कृषि एवं हरित क्षेत्र।	30	10
2	परिवहन एवं संचार (मार्ग प्रस्ताव को छोड़कर)*	20	10
3	मनोरंजन एवं पर्यटन	—	—
4	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक (विश्वविद्यालय को छोड़कर)	—	—
5	आवासीय	10	10
6	औद्योगिक***	10	10
7	व्यवसायिक	—	—

महायोजना क्षेत्र में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क निर्धारित करते समय उस क्षेत्र में निर्धारित कृषि भूमि मूल्य जो जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

शासनादेश संख्या-1798/v-2-2016-55 (आ०)/2006 (टी०सी०) दिनांक 08.12.2016 के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड मानकों के अनुसार होने पर प्रश्नगत भूखण्ड को कृषि/अविकसित/बंजर मानते हुये भूमि का मूल्यांकन कर भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क निर्धारित करते हुये उसका 50 प्रतिशत भू-उच्चीकरण शुल्क के रूप में निर्धारित किया जाता है।

2- उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम-2011 (संशोधन-2015) के बिन्दु 7.14 फिलिंग स्टेशन/फिलिंग कम सर्विस स्टेशन-यथा पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, बायो डीजल आदि के लिए भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क एवं भू-उच्चीकरण शुल्क हेतु निम्नानुसार व्यवस्था है-

(i) अनुमन्यता-

- (i) सामान्यतः महायोजना में निर्धारित भू-उपयोग के परिक्षेत्रीय विनियमन में अनुमन्यता के अनुरूप ही फिलिंग स्टेशन/फिलिंग कम सर्विस स्टेशन की अनुमन्यता होगी।
- (ii) महायोजना में अनुमन्य भू-उपयोगों से इतर भूउपयोग परिक्षेत्रों में नियमानुसार शासन से भू-उपयोग परिवर्तन उपरान्त ही फिलिंग स्टेशन/फिलिंग कम सर्विस स्टेशन का निर्माण अनुमन्य होगा। इस हेतु भूमि मूल्य का 75 प्रतिशत मूल्य भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क के रूप में प्राप्त करने के उपरान्त ही ऐसे प्रकरणों पर विचार किया जायेगा।
- (iii) महायोजना क्षेत्र से बाहर कृषि/ग्रामीण क्षेत्रों तथा ऐसे खुले/अविकसित/ बंजर क्षेत्र, जिनका महायोजना के अन्तर्गत भू-उपयोग निर्धारित नहीं है, में राष्ट्रीय, प्रान्तीय व अन्य मुख्य मार्गों पर प्रस्तावित फिलिंग स्टेशन व फिलिंग कम सर्विस स्टेशन के निर्माण सम्बन्धी आवेदनों पर भूमि का 75 प्रतिशत मूल्य उच्चीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त करने के उपरान्त ही विचार किया जायेगा।

उक्त प्राविधानों के दृष्टिगत फिलिंग स्टेशन व फिलिंग कम सर्विस स्टेशन के प्रकरण में महायोजना क्षेत्र में एवं महायोजना/नगरीय क्षेत्र से बाहर दोनों ही स्थितियों में भूमि मूल्य का 75 प्रतिशत भू-उपयोग परिवर्तन/भू-उच्चीकरण शुल्क के रूप में निर्धारित किया जा रहा है। इस प्रकार के प्रकरण में नगरीय क्षेत्रों में भी भू-उच्चीकरण शुल्क लिया जा रहा है।

भूमि का मूल्यांकन कतिपय प्रकरणों में भूमि अकृषक में दर्ज होने के दृष्टिगत अकृषि दर से करते हुये निर्धारण किया जाता है। ऐसी दशा में भू-उच्चीकरण शुल्क निर्धारण में एकरूपता नहीं है। अतः मार्ग-दर्शन हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

कार्यवाही:- बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि फिलिंग स्टेशन/फिलिंग कम सर्विस स्टेशन यथा पेट्रोल, डीजल, एल०पी०जी०, सी०एन०जी०, बायो डीजल आदि के भू-उपयोग परिवर्तन एवं भू-उच्चीकरण शुल्क के निर्धारण हेतु

शासनादेश संख्या-1798/V-2-2016-55 (आ0)/2006 (टी0सी0) दिनांक 08.12.2016 के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड को कृषि /अविकसित/बंजर मानते हुये प्रस्ताव तैयार करते हुये शासन को संदर्भित किया जाये।

मद संख्या-- 8.05

भवन मानचित्रों की स्वीकृति हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्रों के सम्बन्ध में।

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर की प्रथम बोर्ड बैठक दिनांक 17.12.2017 के मद संख्या-01.13 में निर्णय लिया गया है कि पर्वतीय भू-भाग में प्राप्त होने वाले मानचित्रों के निस्तारण हेतु भू-वैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स हल्द्वानी, लो0नि0वि0, वन विभाग एवं सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, हल्द्वानी के अनापत्ति पत्रों की अनिवार्यता होगी।

मैदानी क्षेत्रों में प्राप्त होने वाले मानचित्रों के निस्तारण हेतु लोक निर्माण विभाग के मार्गों पर विभाग का अनापत्ति-पत्र, सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग, हल्द्वानी एवं आवश्यकतानुसार अन्य विभाग (वन विभाग, विद्युत विभाग, राजस्व विभाग आदि) का अनापत्ति-पत्र की अनिवार्यता होगी।

सेवा का अधिकार अधिनियम-2011 के अन्तर्गत आवेदक द्वारा सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति-पत्र प्राप्त करते हुये सम्पूर्ण पत्रावली स्वीकृति हेतु प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत की जाती है। विभिन्न विभागों से अनापत्ति-पत्रों को प्राप्त करने में आवेदकों को काफी समय लगता है तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समय लगने के दृष्टिगत आवेदकों द्वारा मानचित्र स्वीकृति हेतु रूचि नहीं रखी जाती तथा अनावश्यक रूप से अवैध निर्माण किया जाता है। एकल आवासीय भवन मानचित्रों की स्वीकृति की प्रक्रिया में सरलीकरण एवं एकरूपता के दृष्टिगत निम्नानुसार प्राविधान प्रस्तावित है:-

1. **भू-स्वामित्व**- भू-स्वामित्व एवं सीमांकन स्पष्ट होने पर राजस्व विभाग की अनापत्ति लिया जाना उचित नहीं है। किन्तु उक्त तथ्य स्पष्ट न होने तथा अन्य सम्पत्तियों यथा-गूल, नहर, चकरोड, राजकीय भूमि आदि की स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता के दृष्टिगत अनापत्ति-पत्र प्राप्त की जाय जिस हेतु प्राधिकरण कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र के 01 सप्ताह/15 दिन में प्रतिउत्तर प्राप्त न होने पर डीमंड अनापत्ति मानते हुये कार्यवाही की जाय।
2. **अग्नि शमन**-किसी निर्माण हेतु अग्नि शमन के प्राविधान आवश्यक हो तो अग्नि शमन विभाग की अनापत्ति आवश्यक होगी।
3. **सड़क**- सड़क निर्माण से सम्बन्धित सभी विभाग अपने मार्ग पर मार्ग के सीमांकन (R.O.W.) सम्बन्धी सूचना प्राप्त की जाय। भवन मानचित्रों हेतु प्रस्तावित भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित है, उस मार्ग की सीमा स्पष्ट होने पर अनापत्ति की आवश्यकता न रखी जाय। जिन मार्गों की चौड़ाई स्पष्ट न हो, मात्र ऐसे स्थानों/मार्गों पर ही अनापत्ति प्राप्त की जाये।

किसी अन्य विभाग की अनापत्ति प्राप्त करने से पूर्व प्राधिकरण के तकनीकी अनुभाग से स्थल निरीक्षण कराते हुये मांगे जाने वाली अनापत्तियां पर कारण सहित संतुष्ट होने की दशा में सचिव स्तर से 01 सप्ताह के भीतर सम्बन्धित विभाग हेतु पत्र प्रेषित किया जायेगा। सम्बन्धित विभाग द्वारा 15 दिन के भीतर अनापत्ति प्रदान की जायेगी। 15 दिन के भीतर अनापत्ति प्राप्त न होने की दशा में डीमंड अनापत्ति मानते हुये मानचित्र के निस्तारण हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

कार्यवाही:- बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से

निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:-

भू-स्वामित्व - मैदानी क्षेत्रों में भू-स्वामित्व एवं सीमांकन स्पष्ट न होने पर ही राजस्व विभाग की अनापत्ति प्राप्त की जाये।

1. प्रस्ताव के विन्दु-2 का प्रस्तावानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया।

2. प्रस्ताव के विन्दु-3 राड़क- मार्ग की चौड़ाई एवं सीमांकन(ROW) के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर से सम्बन्धित विभागों से सूचना प्राप्त करते हुये संकलित कर लें। प्राप्त सूचना के आधार पर ही मानचित्रों के निस्तारण की कार्यवाही करें। विशेष प्रकरणों जिनमें मार्ग की चौड़ाई एवं सीमांकन स्पष्ट न हो, पर ही सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्राप्त की जाये। निर्णय की एक प्रति उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर द्वारा मुख्य अभियन्ता/अधिशारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को इस आशय के साथ प्रेषित की जाये कि उनके अधीन सम्बन्धित भागों की चौड़ाई एवं सीमांकन सम्बन्धी विवरण एक माह में प्राधिकरण कार्यालय को उपलब्ध करा दें।

उपरोक्त के क्रम में सभी सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने की अवधि 15 दिन निर्धारित की जाये। 15दिन के अन्दर अनापत्ति प्राप्त न होने पर डीमड मानते हुये मानचित्रों के निस्तारण की कार्यवाही की जाये।

मद संख्या-8.06

एच0पी0सी0एल0 रिटेल आउटलेट द्वारा कु0 अनुराधा सिंह पुत्री श्री वीर प्रताप सिंह आनलाईन मानचित्र संख्या-C-0001/USN/20-21 का प्लॉट नं0-681मि0, 682 तहसील किच्छा जिला उधमसिंह नगर में पेट्रोल पम्प के पुनः निर्माण मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बंध में।

आवेदिका कु0 अनुराधा सिंह पुत्री श्री वीर प्रताप सिंह आनलाईन मानचित्र संख्या-C-0001/USN/20-21 का प्लॉट नं0-681मि0, 682 तहसील किच्छा जिला उधमसिंह नगर में पेट्रोल पम्प के पुनः निर्माण मानचित्र स्वीकृति हेतु इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है। सहयुक्त नियोजक, कुमाँ सम्भागीय खण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग हल्द्वानी के पत्र संख्या-1185 दिनांक 22.12.2016 के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत स्थल किच्छा महायोजना के अनुसार कार्यालय भू-उपयोग के अन्तर्गत पड़ता है। परिक्षेत्रीय विनियमन के अनुसार पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन का निर्माण अनुमत्य नहीं है। यद्यपि उल्लेखित स्थल पर विनियमित क्षेत्र प्रभावी होने से पूर्व से ही पेट्रोल पम्प संघालित होने की पुष्टि आपके स्तर से होने पर पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन के निर्माण की अनुमति नियंत्रक प्राधिकारी से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। उक्त क्रम में आवेदक द्वारा पूर्व में पेट्रोल पम्प होने का साक्ष्य/प्रमाण पत्र नगर पालिका किच्छा द्वारा दिया गया है। प्रस्तावित पुनः निर्माण के मानचित्र की तकनीकी जाँच भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्राक्धान के अनुसार निम्न प्रकार से है:-

	भवन उपविधि के अनुसार अनुमत्य	मानचित्र के अनुसार
Width of Road	18 मी0	24 मी0 लो0नि0वि0 के अनुसार
Plot area	20 मी0 x 20 मी0	36 मी0 x 38 मी0
Buffer strip	लम्बाई-12.00 मी0, चौड़ाई-4.00 मी0	लम्बाई-12.00 मी0, चौड़ाई-4.00 मी0
RSB	3.00 मी0	3.00 मी0
SSB1	3.00 मी0	3.00 मी0
SSB2	3.00 मी0	3.00 मी0
FAR	0.05 मी0	0.27 मी0
Parking	80.00 वर्गमी0	80.00 वर्गमी0

मानचित्र पर निम्नलिखित विभागों से आवेदक द्वारा अनापत्ति पूर्व में प्राप्त की गयी है:- 01-तहसील किच्छा 02-लो0नि0वि0 किच्छा 03-मुख्य अग्निशमन अधिकारी उधमसिंह नगर 04-महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र उधमसिंह नगर 05-विद्युत वितरण खण्ड उधमसिंह नगर आदि विभागों से अनापत्ति प्राप्त की गयी। इसके साथ-साथ जिलाधिकारी महोदय के पत्र संख्या-73 दिनांक 22.12.2016 द्वारा अनापत्ति प्रस्तुत की गयी है कि उक्त प्रश्नगत स्थल पर पूर्व में भी पेट्रोल पम्प स्थापित था, वर्तमान में उसके अवशेष हैं तथा पेट्रोल पम्प स्थापित किये जाने की संस्तुति की गयी है। श्री राकेश कुमार विक्रय अधिकारी, एच0पी0सी0एल0 उधमसिंह नगर के द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम किच्छा स्थित प्लॉट संख्या-681, 682 में एच0पी0सी0एल0 का पम्प 1953 से 2010 तक चलता रहा। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण स्थित पेट्रोल पम्प का

कार्य स्थगित हो गया। पुनः उस पेट्रोल पम्प को एच0पी0सी0एल0 आरम्भ करना चाहती है। इसके साथ-साथ मै0 सोमनाथ ओबराय तराई मॉडल एजेन्सी किच्छा के नाम से वार्ड नं0 1, किच्छा में 01.10.19973 से स्थित भवन क्रमांक 88/01 पर पालिका अभिलेखों में उक्त भवन उपरोक्तानुसार श्री वीर प्रताप सिंह पुत्र स्व0 श्री रामनगीना सिंह के नाम सहित जीर्ण-दोषी अवस्था में पूर्व पेट्रोल पम्प भवन मौके पर पालिका अभिलेखों पर दर्ज अभिलेख है, का उल्लेख किया गया है। किच्छा महायोजना वर्ष-1967 का बना हुआ है परिक्षेत्रीय विनियम के अनुसार कार्यालय भू-उपयोग में यह उल्लेख है कि :-

“ Local, State and Central Government and semi Government offices, Local Municipal Facilities, Official Social and cultural institutions, uses incidental to Government and semi-Government office and for their use. Parking requirements must be approved by competent Authority ”

प्रश्नगत स्थल पर पेट्रोल पम्प महायोजना लागू होने से पूर्व का निर्मित होना पाया गया है। कार्यालय भू-उपयोग के अन्तर्गत परिक्षेत्रीय विनियमन के अनुसार पूर्व निर्मित जीर्ण-दोषी भवनों के पुनः निर्माण मानचित्र स्वीकृत किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। स्थल पर महायोजना लागू होने से पहले ही पेट्रोल पम्प निर्मित होने के कारण पुनः निर्माण की अनुमति प्राधिकरण बोर्ड से लिया जाना उचित होगा।

कार्यवाही:- प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विचार-विमर्श किया गया, चूंकि प्रश्नगत पुनर्निर्माण प्रस्ताव की परियोजना मास्टर प्लान लागू होने से पूर्व से विद्यमान पायी गयी हैं। अतः उक्त स्थल पर प्रचलित भवन उपविधि के अनुसार पुनर्निर्माण प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है।

मद संख्या -8.07

बी0पी0सी0एल0 रिटेल आउटलेट द्वारा ऑनलाईन मानचित्र संख्या-C-0090/USN/2019-20 श्री रेहान बाबू, ग्राम छिनकी, तहसील-किच्छा, रुद्रपुर खसरा नं0-742 मि0 में मार्ग की चौड़ाई में छूट प्रदान किये जाने के सम्बंध में।

आवेदक श्री रेहान बाबू, ग्राम-छिनकी, तहसील-किच्छा, रुद्रपुर खसरा नं0-742 मि0 में मानचित्र स्वीकृति हेतु इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत स्थल किच्छा महायोजना से बाहर है। प्रश्नगत स्थल किच्छा दरउ मार्ग से लगा हुआ है। राजस्व विभाग से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 17.01.2020 के अनुसार मार्ग की चौड़ाई 25 मी0 बतायी गयी है। भवन उपविधि-2011 यथा संशोधन-2015 के अनुसार नगर निकाय सीमा के बाहर मार्ग की चौड़ाई-30 मी0 आवश्यक है।

मानचित्र पर निम्नलिखित विभागों से आवेदक द्वारा अनापत्ति पूर्व में प्राप्त की गयी है:- 01-राजस्व विभाग, रुद्रपुर 02-मुख्य अग्निशमन अधिकारी, उधमसिंहनगर 03-लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर, 04-महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र उधमसिंह नगर 05-विद्युत वितरण खण्ड किच्छा, 06-जिला पूर्ति अधिकारी, रुद्रपुर विभागों से अनापत्ति प्राप्त की गयी।

सहयुक्त नियोजक, कुमायूँ, सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी जिला-नैनीताल के पत्र संख्या-1629 दिनांक 15 फरवरी, 2020, जो कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन, (प्रभारी) विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सम्बोधित है, की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसमें प्रश्नगत रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु मार्ग की चौड़ाई में छूट प्रदान किये जाने की संस्तुति की गयी है।

प्रश्नगत प्रकरण में भवन उपविधि के अन्तर्गत दो पेट्रोल पम्प के मध्य एक तरफ 01 किमी0 दूरी होन के उपरान्त दूसरा रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प से दूसरे पेट्रोल पम्प की दूरी 01किमी0 से अधिक है अर्थात् 01 किमी0 के अन्तर्गत कोई अन्य पेट्रोल पम्प/रिटेल आउटलेट नहीं है। लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर के पत्र संख्या-1084/1सी0वी0 दिनांक 09.07.2020 के अनुसार प्रस्तावित सड़क की चौड़ाई 24 मी0 बतायी गयी है। प्रकरण में मार्ग की चौड़ाई के अतिरिक्त प्रस्तुत प्रस्ताव भवन उपविधि के नियमों के अन्तर्गत है।

भवन उपविधि के अनुसार रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की स्वीकृति हेतु न्यूनतम 30 मी0 पहुँच मार्ग होना आवश्यक है। प्रकरण में 06 मी0 मार्ग की चौड़ाई में छूट दिये जाने का प्रस्ताव सहयुक्त नियोजक, कुमायूँ सम्भागीय नियोजन खण्ड, हल्द्वानी जिला-नैनीताल के पत्र दिनांक 15 फरवरी, 2020 की संस्तुति के साथ शासन को प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है।

कार्यवाही:-बोर्ड द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। यथा प्रस्ताव नियत प्रारूप में प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया जाये।

मद संख्या- 8.08

एफ0सी0आई0 गोदाम के सामने, रूद्रपुर में 1872 ई0डब्लू0एस0 के निर्माण के सामने वेवकॉश के प्रोजेन्टेशन के सम्बन्ध में।

रूद्रपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत एफ0सी0आई0 गोदाम के सामने 1872 ई0डब्लू0एस0 भवनों का निर्माण उडा देहरादून द्वारा किये जाने की प्रक्रिया गतिमान थी। उक्त परियोजना को वर्तमान में उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण देहरादून द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या-709/उडा-183/2017-18 दिनांक 30.10.2019 के माध्यम से परियोजना पत्रावली जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण उधमसिंह नगर को अग्रेतर कार्यवाही हेतु अन्तरित की गयी है जो कि इस कार्यालय में दिनांक 22.11.2019 को प्राप्त है। प्रश्नगत परियोजना में ई0डब्लू0एस0 भवनों के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था Wapcos द्वारा Monolithic Construction तकनीक से परियोजना की डी0पी0आर0 तैयार की गयी है। पंचम बोर्ड बैठक दिनांक 13.12.2019 के मद संख्या-05.07 में लिये गये निर्णय के क्रम में मार्ग दर्शन हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया गया था। परियोजना को शीघ्रता से पूर्ण करने हेतु प्रस्ताव मार्गदर्शन एवं आदेशार्थ प्रस्तुत।

कार्यवाही:- शासन के पत्र संख्या-379 दिनांक 21.09.2020 के द्वारा प्राधिकरण बोर्ड में लिये गये निर्णयों पर पुनर्विचार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। प्राधिकरण उपाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया है, कि पूर्व में एफ0सी0आई0 गोदाम के सामने की भूमि पर ई0डब्लू0एस0 तथा आई0एस0बी0टी0 प्रस्तावित थे। प्राधिकरण के द्वारा रूद्रपुर में आई0एस0बी0टी0 के निर्माण हेतु मानचित्र पृथक से स्वीकृत कर दिया गया है। इस प्रकार उक्त प्रोजेक्ट में आई0एस0बी0टी0 प्रस्तावित करने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रोजेक्ट को रिवार्ज करके हुये मुख्य मार्ग पर व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स तथा उसके बाद की भूमि पर सिटी पार्क विकसित किया जाना उचित रहेगा। ई0डब्लू0 एस0 के सम्बन्ध में यह अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत आवासहीन/भूमिहीन व्यक्तियों को प्लॉट बनाकर दिया जाना है और यह कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुरूप है। अतः इस आधार पर यहाँ ई0डब्लू0एस0 बनाने से मना नहीं किया जा सकता कि भूमि का मूल्य अधिक है। जिला प्रशासन द्वारा उक्त भूमि के बदले ग्राम रम्पुरा रूद्रपुर में भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु अवगत कराया गया है किन्तु यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त भूमि नदी के किनारे है तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 16.08.2018 के द्वारा नदी से 200मी0 तक निर्माण कार्य पर रोक लगायी गयी है।

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि एफ0सी0आई0 गोदाम के सामने की भूमि जो कि उडा को हस्तान्तरित है, पर उडा के बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप ई0 डब्लू0 एस0 बनाने की कार्यवाही की जाये तथा अवशेष बची भूमि पर सिटी पार्क तथा व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स और प्राधिकरण का कार्यालय बनाया जाये। उक्त डिजाईन/ड्राईंग/डी0पी0आर0 शीघ्र तैयार कर परिवर्तित/संशोधित प्लान बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रकरण शासन को भी सन्दर्भित किया जाये।

मद संख्या-8.09

01-आउटसोर्स के अन्तर्गत रिक्त पदों के सापेक्ष कार्मिकों की तैनाती के सम्बन्ध में।

कार्यवाही:-बोर्ड द्वारा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर में कार्मिकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुये स्वीकृत ढॉचे में आउटसोर्स के माध्यम से भरे जाने वाले पदों पर शासन स्तर से नियुक्ति होने तथा उडा, देहरादून द्वारा फर्म के चयन होने तक कार्मिकों की नियुक्ति उपनल के माध्यम से आउटसोर्स के आधार पर नियुक्त कर लिये जाये।

02- सहयुक्त नियोजक, नियोजन खण्ड, हल्द्वानी द्वारा बायलॉज में संशोधन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव प्राप्त कर शासन को सन्दर्भित करने के सम्बन्ध में।

कार्यवाही:-प्रचलित भवन उपविधि में संशोधन के सम्बन्ध में

उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड द्वारा अवगत कराया गया है, कि भवन उपविधि में संशोधन हेतु प्रस्ताव उनके स्तर से शासन को प्रेषित किया गया है। बोर्ड


Y. J. J.

द्वारा निर्देशित किया गया कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड से बायलॉज में संशोधन का प्रस्ताव प्राप्त कर पुनः शासन को सन्दर्भित किया जाये।

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से मौजूद समस्त सदस्यों को धन्यवाद देते हुये बैठक का समापन किया गया।


(बंशीधर तिवारी)

उपाध्यक्ष,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
उधमसिंह नगर।


(अरविन्द सिंह हयांकी)

आयुक्त/अध्यक्ष
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
उधमसिंह नगर।